

उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
क्रमांक : 226/2020
दिनांक : 28.16.23

उनवान

पुत्र नानगा उर्फ नानगराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुरजपुरा, तह0 सांगानेर जिला


बनाम

पुत्र नानगा उर्फ नानगराम
पुत्र नानगा उर्फ नानगराम
पुत्र गुर्जर निवासी ग्राम सुरजपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
डीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बाबत तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 ए, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार
जिनकी संयुक्त आराजी कृषि भूमि हाल खाता संख्या 52 संवत् 2074 से 2077 के अनुसार
संख्या नंबर 122 रकबा 0.2890 है0 खसरा नंबर 123 रकबा 0.2000 है0 कुल किता 2 कुल
रकबा 0.4890 है0 वाके ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र
सुरजपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का
राजस्वा 1/3, 1/3 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है।
वादी ने उक्त आराजीयात का बंटवारा करने के लिए कई बार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से कहा
तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात का बंटवारा नहीं करना चाहते इस कारण वादी
ने अपनी सुविधा अनुसार कृषि काश्त करने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड
हा हैं। प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त वाली भूमि पर निर्माण करने एवं बिना
तकासमा ही भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर देने की धमकी देते हैं इस कारण यह वाद
पेश करना आवश्यक हुआ।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश किया। अधिवक्ता वादी गण में बहस करने हेतु निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि उक्त वाद में वादी सहकाशतकार है। भूमि का विभाजन होना है इसलिए वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन प्रतिवादीगण कहा कि पक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जाती है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। बहस वादी अधिवक्ता पर मनन तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 01.06.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी किया की गई। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सूरजपुरा हल्का खेडी गोकुलपुरा भूअभिलेख निरीक्षक शिकारपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है 122 रकबा 0.2890 है 0 खसरा नंबर 123 रकबा 0.2000 कुल किता 2 रकबा 0.4890 है 0

में तहसीलदार सांगानेर का निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में एवं रिकार्ड अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर मय नक्शा तीन-तीन प्रतियों में इस न्यायालय आगामी पेशी 01.06.2022 से पूर्व भिजवाया जाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/6348 दिनांक 22/07/2022 के संलग्न कुर्रेजात मय नक्शा न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 14.09.2023 को पत्रावली पेश हुई, कुर्रेजात का अवलोकन किया गया, कुर्रेजात के पैरा संख्या 3 में रकबे का योग सही नहीं है एवं संख्या 4 में खातेदार का नाम सही नहीं है। अतः तहसीलदार सांगानेर को मूल कुर्रेजात पुनः पेश किया गया एवं दिनांक 30.09.2022 से पूर्व न्यायालय में भिजवाने हेतु पाबन्द किया गया। तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/9733 दिनांक 09/11/2022 के संलग्न कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा न्यायालय में पेश किया गया।

पत्रावली को पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित, बहस अन्तिम उभयपक्षकारान अधिवक्ता सुनी गई। वकील उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को कोई आपत्ति पेश नहीं की। बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन करने पर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सूरजपुरा पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा भूअभिलेख निरीक्षक शिकारपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है ख0न0 122 रकबा 0.2890 है 0 खसरा नंबर 123 रकबा 0.2000 कुल किता 2 रकबा 0.4890 है 0 का तकासमा व


सांगानेर
दिनांक

मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया


वर्तमान जमाबन्दी की प्रविष्टि

खातेदारों का नाम व पिता का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म जमीन	लगान
कानाराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा. देह भैरूराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम हिस्सा 1/3 जाति गुर्जर सा. देह रामरतन पुत्र नानगा उर्फ नानगराम हिस्सा 1/3 सा. देह खातेदार	122	0.2890	चाही 3	
	123	0.2000	चाही 3	

प्रस्तावित कुरेजात इन्द्राज				
प्रस्तावित खातेदारों का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	रंग	किस्म जमीन
रामरतन पुत्र नानगा उर्फ नानगराम जाति गुर्जर सा. देह	122 मि.	0.1630	हल्का हरा	चाही 3
कुल किता	किता 1	0.1630		
भैरूराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	122 मि. 123 मि. 123 मि.	0.630 0.02 0.07	नीला	चाही 3 चाही 3 चाही 3
कुल किता	किता 3	0.1530		
कानाराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम जाति गुर्जर सा. देह	122 मि. 123 मि. 123 मि.	0.630 0.02 0.07	केसरिया	चाही 3 चाही 3 चाही 3
कुल किता	किता 3	0.1530		
भैरूराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह कानाराम पुत्र नानगा उर्फ नानगराम हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा. देह	123 मि.	0.02	लाल	चाही 3


 उपरान्त अधिकारी
 जयपुर दिनांक (सोमवार)

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का
मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा
रिपोर्ट व नक्शे की प्रति राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार
को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।
आज दिनांक 28.06.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

